संख्या- 3/2026/592/59-2-2025/002-1814735

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 12 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-81 (टी0एस0पी0) कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पंत्राक-1273-77/खा0ग्रा0बो0/प्रशिक्षण/कौ0सु0प्रशि0योजना(टी0एस0पी0)/2025-26, दिनांक 10.12.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 11.97 लाख (रू0 ग्यारह लाख सत्तानबें मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-31/2025/217/59-2-2025/001-1814735, दिनांक 10 जून, 2025 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि 5.985 लाख (रू0 पांच लाख अट्ठानबें हजार पॉच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के उपरान्त योजनान्तर्गत अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि 5.985 लाख (रू0 पांच लाख अट्ठानबें हजार पॉच सौ मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र खादी बोर्ड द्वारा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

(7) योजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही व्यय की जायेगी, उसका व्यय/उपभोग उसी कार्य मद में किया जायेगा, जिस हेतु स्वीकृत है। किसी प्रकार के विचलन की स्थिति में सम्बन्धित योजनाधिकारी/ विभागाध्यक्ष उत्तरादायी होंगे।

(9) कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-1/1/2010-का-प्रसको.-2014, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 एवं नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-363/35-1-2016-5/31(3)/85, दिनांक 02 जून, 2016 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित प्रशिक्षण दरों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उक्त प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी/प्रत्येक प्रशिक्षक का प्रत्येक सत्र का प्रतिदिन का डिजिटल फोटोग्राफ संरक्षित किया जायेगा तथा उनके मोबाइल नम्बर/आधार नम्बर भी संरक्षित किये जायेंगे।

(11) सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर संचालित किये जायेंगे, अपरिहार्य प्रस्थितियों में प्रशिक्षणार्थियों के सुविधानुसार जिला मुख्यालय पर भी संचालित किये जायेंगे।

(12) उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पंत्राक-51/खा0ग्रा0बो0/कार्ययोजना पत्रा0-/2025-26, दिनांक 28.04.2025 में संलग्न की गयी सम्बन्धित कार्ययोजना के अनुसार ही व्यय किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 5,98,500 (रू0 पांच लाख अट्ठानबें हजार पॉच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-**081 **लेखा शीर्षक** 2851007960500 कौशल सुधार प्रशिक्षण **मानक मद**-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-108-X-2025-26, दिनांक 08.01.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या- 3/2026/592(1)/59-2-2025/002-1814735 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।

4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2

8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

9- वित्तीय एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ0प्र0 लखनऊ।

10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।